Commencement AS PER SANCTION LETTER OF ALLAHABAD DEVELOPMENT AUTHORITY
DATED 25 05 2018

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,इलाहाबाद

पत्रांक :105/प्र0अ0(त0स0)/जोन–1/ग्रु0हा0/2016–17 दिनांक:25/05/2018

अनुमति–पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अर्न्तगत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर प्रस्तावित समूह आवास मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्रीमती अनीता चौधरी पुत्री स्व0 के0पी0 चौधरी थ्रू मुख्तारेआम श्री गौतम चटर्जी, विकासकर्त्ता श्री रीतेश पॉल, मैनेजिंग डायरेक्टर, मे0 स्काईनेट इन्फ्रावेन्चर्स प्रा0लि0 द्वारा नजूल फ्री होल्ड भू0 सं0–12 सिविल स्टेशन (पार्ट) नवाब यूसुफ रोड, पत्रिका मार्ग (लायल रोड) इलाहाबाद के जोन संख्या (1) के अर्न्तगत समूह आवास मानचित्र की स्वीकृति/निर्गमन उपाध्यक्ष, इ0वि0प्रा0 द्वारा दिनांक 18–05–2018 को निम्नांकित प्रतिबन्धो के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानो के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 मे उपविधि संख्या–2.1.8 एवं 3.1.8 मे निर्धारित प्रकिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप मे होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण–पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग मे लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. स्थल पर 14 अदद वृक्ष लगाना होगा तथा वृक्षो को हरा–भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
5. रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू–गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् जमा एफ0डी0आर0 अवमुक्त किया जायेगा।
6. सोलर वाटर हीटिंग संयत्र की स्थापना, संयोजन प्लान, किचेन, बाथरूम में दर्शित करते हुये प्रस्तुत करना होगा।
7. स्टिल्ट तल पर एक कन्वीनिएंट शॉप के अतिरिक्त स्टिल्ट के किसी भी अन्य भाग का उपयोग पार्किंग से भिन्न नही किया जायेगा।
8. निर्माण कार्य भूकम्परोधी मानको के आधार पर ही किया जाय। भवन की संरचना एवं सुरक्षा का दायित्व आवेदक का होगा।
9. उ0प्र0 अपार्टमेन्ट एक्ट–2010 एवं रूल्स 2011 का अक्षरशः पालन करना होगा।
10. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी इलाहाबाद की अनापत्ति पत्रांक : 2017/33191/ इला0/289/सी. एफ.ओ. दिनांक 03.8.2017, मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, इलाहाबाद की अनापत्ति पत्रांक : 552/STCE/17 दिनांक 21.08.2017, मुख्य अभियन्ता, विद्युत इलाहाबाद की अनापत्ति पत्रांक : 9273/मु0अ0/इ0क्षे0/पी–2 दिनांक 18.08.2017, में अंकित प्रतिबन्धो का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)